पत्र सं०–5/पी०–12/2024– 52(5)ब, /स्वा०,

# झारखण्ड सरकार
## स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

### शुद्धि पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–81(5) योजना, दिनांक–29.03.2026 में अंकित निदेश को निम्न तालिका के अनुसार संशोधित रूप में पढ़ा जायः–

| स्वीकृत्यादेश की कंडिका संख्या | पूर्व में अंकित निदेश | संशोधित निदेश |
|---|---|---|
| 04 | इस योजना हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे, जो डिपोजिट कार्य हेतु कार्यपालक अभियन्ता, एन०आर०ई० पी०–1, राँची को पुस्तांतरण द्वारा रेमिटेन्स शीर्ष–8782, स्थानीय जमा निधि–102 में चालान के माध्यम से राशि जमा करेंगे | इस योजना हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे, जो पारित विपत्र के विरूद्ध नियमानुसार राशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे। |

इसी प्रकार, विभागीय आवंटनादेश सं०–28(5)ब दिनांक–14.08.2026 (यथा संशोधित) के तालिका की कंडिका–10 में अंकित योजना के लिए निम्न तालिका के अनुसार संशोधित रूप में पढ़ा जायः–

| आवंटनादेश की कंडिका संख्या | पूर्व में अंकित निदेश | संशोधित निदेश |
|---|---|---|
| 04 | इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची/गढ़वा होंगे, जो डिपोजिट कार्य हेतु विपत्र के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या–1, राँची/कार्यपालक अभियंता, विशेष कार्य प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, गढ़वा/कार्यपालक अभियन्ता, एन०आर०ई०पी०–1, राँची को पुस्तांतरण द्वारा रिमिटान्स शीर्ष–8782, स्थानीय निधि जमा–102 में चालान के माध्यम से राशि जमा करेंगे। | इस योजना हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे, जो पारित विपत्र के विरूद्ध नियमानुसार राशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे। |

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।
3. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

10/11/26

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–5/पी०–12/2024– 52(5)ब राँची, दिनांकः 19.11.2026

प्रतिलिपिः प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, राँची/सिविल सर्जन, राँची/कार्यपालक अभियन्ता, एन०आर०ई०पी०–1, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

52(5)ब,
19.11.2026